

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 111/2017

कुन्हेयालाल पुत्र मोडा कुम्हार
निवासी-होसा

- बनाम
- ① शक्ति सिंह पुत्र सुरा लाल जोषी
 - ② देवी लाल पुत्र जगपतराल शर्मा
 - ③ श्रीमानन्द पुत्र प्रभु लाल शर्मा
 - ④ राम सिंह पुत्र सुरा लाल जोषी
 - ⑤ देवी लाल पुत्र मोडा कुम्हार
 - ⑥ मदन लाल पुत्र उदा उजापत
 - ⑦ मेरु लाल पुत्र रणजीत पाटील निवासी/पाठ

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0 - होसा तं-माण्डलगढ

- आदेश :-

दिनांक-15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री कुन्हेयालाल पुत्र मोडा कुम्हार निहोसा जेरिये अभिभाषक श्री सावर मल्ल रेवारी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम होसा प0ह0 होसा तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0 386, 824/1, 872/2, 874/1, 1070/823, 1071/821 कुल एकरा 6 रकबा कित्ता 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम होसा की आराजी न0 386, 824/1, 872/2, 874/1, 1070/823, 1071/821

6 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा होसा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 350 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी